Website में upload करवाना है
डॉ. शशि कुमार शर्मा
Urgent
128

1. द्विवर्षीय शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम से संबंधित प्रस्तावित बिन्दु

I. शिक्षण विषय (पृ.सं. 10 बिन्दु सं. VI में जोड़ा जायें)

यदि शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम में किसी प्रवेशार्थी/प्रशिक्षणार्थी का एक शिक्षण विषय नहीं बन रहा है तो भी उसको दूसरा शिक्षण विषय निम्नानुसार दिया जा सकता है-

विद्यार्थी को एक विषय कम से कम स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर दो वर्ष अध्ययन किया हुआ हो, लेना होगा। और दूसरे विषय का यदि दो वर्ष अध्ययन नहीं किया हैं तो अन्य विषय सामान्य हिन्दी एवं अंग्रेजी जो भी अनिवार्य विषय के रूप में एक वर्ष पढ़ा है वह द्वितीय शिक्षण विषय के रूप में दिया जा सकता है। अथवा सामाजिक अध्ययन भी दिया जा सकता है।

उपरोक्त संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि एक विषय के आधार पर भी महाविद्यालय अपने यहां प्रवेश दे सकता है यदि दूसरा विषय उस महाविद्यालय को आवंटित नहीं है तो भी प्रशिक्षणार्थी उस विषय का अध्ययन अपने स्तर पर करेगा।

II. शिक्षण अभ्यास संबंधित निर्देश (पृ.सं. 20)

1. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के निर्देशानुसार विद्यालय सम्बद्धता कार्यक्रम का आयोजन 20 सप्ताह के लिए किया जाएगा।

2. इसे क्रमशः द्विवर्षीय शिक्षाशास्त्री के प्रथम वर्ष में 4 सप्ताह एवं द्वितीय वर्ष में 16 सप्ताह की अवधि में किया जायेगा।

3. हटाना

4. यथावत

5. दोनों शिक्षण में 15-15 पाठ पर्यवेक्षित होना अनिवार्य है।

6,7,8,9,10 यथावत रहेंगे।

11. बाह्य प्रायोगिक परीक्षा हेतु प्रत्येक प्रशिक्षणार्थ को प्रथम वर्ष में संस्कृत शिक्षण तथा द्वितीय वर्ष में विद्यालय शिक्षण के पाठ सहायक सामग्री सहित तैयार करने होंगे।

12 यथावत रहेगा।

इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल 35 पाठों का शिक्षण अभ्यास 4 सप्ताह की विद्यालय सम्बद्धता अवधि में तथा द्वितीय वर्ष में कुल 35 पाठों का शिक्षण अभ्यास 16 सप्ताह की अवधि में पूर्ण किया जायेगा।

III. बाह्य प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन

बाह्य प्रायोगिक परीक्षा दो कार्य दिवसों में वर्षवार (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष) निम्नलिखित प्रकार से आयोजित की जाएगी

प्रथम दिवस-शिक्षण अभ्यास, पाने का प्रायोगिक परीक्षण, मूल्यांकन ई.पी.सी. 1,2 व 4 एवं मौखिकी तथा मूल्यांकन

द्वितीय दिवस-शिक्षण अभ्यास, पाने का प्रायोगिक परीक्षण, मूल्यांकन, ई.पी.सी. 3 एवं मौखिकी तथा मूल्यांकन

V. S-S. V

IV. आंतरिक मूल्यांकन का अंक विभाजन (पृ. सं. 22)

1. सूक्ष्म शिक्षण (05 कौशल, श्यामपट्ट, प्रश्न, उद्दीपन परिवर्तन, दृष्टान्त व पुनर्बलन) 10 अंक

पाठ योजना निर्माण (इकाई व दैनिक वार्षिक)

शेष यथावत

V. प्रश्नपत्रों में पाठ्यबिन्दुओं का प्रस्ताव (पृ.सं. 28)

1. प्रथम प्रश्न पत्र 101 – बाल्यावस्था एवं विकास प्रक्रिया

सत्रीय कार्य – नोट- निम्नांकित में से कोई एक प्रायोगिक परीक्षा–10 अंक

निर्देश लिखे व सीखने का प्रयोगात्मक प्रशासन

फलांकन व्याख्या निष्कर्ष ध्यान की अवधि/वृद्धि (व्यक्तिगत, समूह परीक्षण)/स्मृति विस्तार की विवेचना।

102–समसामयिक भारत एवं शिक्षा (पृ. सं. 31)

सत्रीय कार्य- विकल्प के रूप में एक सत्रीय कार्य–10 अंक

राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु जागरूकता कार्यक्रम का संचालन एवं प्रतिवेदन लेखन–जोड़ा जाएं।

103. अधिगम एवं शिक्षण प्रक्रिया (पृ. सं. 34)

सत्रीय कार्य–निर्देश– अधोलिखित में से किसी एक पर आधारित दत्त कार्य–10 अंक

105 अध्ययन क्षेत्र एवं विषय अवबोध (पृ. सं. 36)

सत्रीय कार्य –निर्देश– निम्नलिखित में से कोई एक प्रायोगिक कार्य– 5 अंक

VI. परीक्षा परिणाम श्रेणी विभाजन अंक योजना इत्यादि से संबंधित प्रस्ताव

1. द्विवर्षीय शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम में पृष्ठ संख्या 24 पर वर्णित परीक्षा परिणाम, श्रेणी विभाजन एवं अंक योजना के अन्तर्गत बिन्दुवार निम्नलिखित बिन्दुओं को निर्देशानुसार जोड़े जाने का सर्वसम्मति प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है–

पृ.सं. 24 पर बिन्दु सं. 2 के बाद बिन्दु सं. 03 के रूप में जोड़े जाने का प्रस्ताव–

2. द्विवर्षीय शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में यदि कोई परीक्षार्थी अधिकतम तीन सैद्धान्तिक प्रश्न–पत्रों में अनुत्तीर्ण रहता है और शेष प्रश्न पत्रों में उत्तीर्ण रहता है तथा उत्तीर्ण प्रश्न पत्रों के सम्पूर्ण अंङ्कों का योग न्यूनतम 45 प्रतिशत रहता है तो ऐसे परीक्षार्थी द्वितीय वर्ष में अध्ययन हेतु प्रोन्नत किया जा सकेगा और अनुत्तीर्ण सै. प्रश्न–पत्रों की परीक्षा शिक्षाशास्त्री प्रथम वर्ष के परीक्षार्थियों के साथ दे सकेगा।

3. पृ. सं. 24 पर बिन्दु सं. 3 के बाद बिन्दु सं. 04 के रूप में जोड़े जाने का प्रस्ताव –

यदि कोई परीक्षार्थी शिक्षाशास्त्री प्रथम वर्ष में केवल प्रायोगिक परीक्षा में अनुपस्थित रहता है या 50 प्रतिशत से कम अंक आन्तरिक या बाह्य प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्त करता है तो ऐसे परीक्षार्थी को द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत किया जा सकेगा, किन्तु प्रथम वर्ष की अनुत्तीर्ण प्रायो. परीक्षा को संबंधित वर्ष के साथ दे सकेगा।

VII. प्रश्न पत्रों के पाठ्य बिन्दुओं से संबंधित प्रस्ताव

Internal / External में Pass अंक 50 [illegible]

प्रश्न पत्र कोड सं. 102 –समसामयिक भारत एवं शिक्षण

प्रथम व द्वितीय इकाई को घटाकर निम्न इकाई जोड़नी है

[illegible]

इकाई प्रथम–शिक्षा एवं दर्शन

शिक्षा– अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, प्रकार (औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक) तथा शिक्षा के कार्य।

शिक्षा के उद्देश्य– वैयक्तिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय।

शिक्षा के अभिकरण–परिवार, विद्यालय, धार्मिक संस्था,समुदाय जनसंचार माध्यम,

दर्शन–अर्थ, परिभाषा, प्रकृति तथा दर्शन का क्षेत्र

पाश्चात्य दर्शन–आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद

यथार्थवाद–अर्थ, परिभाषा तथा शिक्षा में उनके शैक्षिक निहितार्थ।

भारतीय दर्शन–संख्या, योग, न्याय, वेदान्त, चार्वाक, बौद्ध, गीता

जैन दर्शन–अर्थ, परिभाषा तथा शिक्षा में उनके शैक्षिक निहितार्थ।

इकाई द्वितीय – शैक्षिक विचार–भारतीय एवं पाश्चात्य विचारक

स्वामी विवेकानन्द, टैगोर, महात्मा गांधी, अरविन्द घोष, गीजू भाई, स्वामी दयानन्द का शिक्षा विषयक चिन्तन में योगदान एवं उनके शैक्षिक निहितार्थ।

प्लेटो, अरस्तू, सुकरात, रूसो, जॉन डी.वी. फ्राबेल, पेस्टोलॉजी तथा मोन्टेसरी का शिक्षा विषयक चिन्तन में योगदान एवं उनका शैक्षिक निहितार्थ

तीसरी, चौथी एवं पांचवीं इकाई यथावत रहेगी।

VIII. विशेष व मुख्य प्रस्ताव

कुलपति महोदय द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री को प्रस्ताव दिया जाए कि विद्यालय सम्बद्धता का विभाजन पूर्व पाठ्यक्रमानुसार (2015–17) के अनुसार माना जाये तो अति उत्तम रहेगा।